

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश, राज्यांश  
एवं राज्य स्कीम (राज्यांश सहित) राशि

3/यो0-29/2017(खंड)  
बिहार सरकार  
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश  
(संख्या /2019-20)

47

प्रेषक,

विजय रंजन,  
संयुक्त निदेशक (मु0),

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 07-08-2019

विषय:-

मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में बाल संरक्षण सेवाओं के विभिन्न अवयवों हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि रु. 5,360/- लाख (रु. तिरपन करोड साठ लाख), राज्यांश राशि रु. 1273/- लाख (रु. बारह करोड तिहत्तर लाख) एवं राज्य स्कीम में रु. 1273/- लाख (रु. बारह करोड तिहत्तर लाख) यानी कुल रु. 7,906.00/- (रु. उनासी करोड छः लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक सं0-5721 दिनांक- 27.11.2017 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा बाल संरक्षण एवं अनाथ, बेसहारा, दुःसाध्य रोगों से पीडित बच्चों तथा उन दुःसाध्य रोगों से पीडित माता-पिता के बच्चों के पालन-पोषण हेतु मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना कार्यान्वित किया गया है। वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 256/वि0 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्राप्त कुल उद्व्यय का सिर्फ 33 प्रतिशत ही राशि व्यय करने के निदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक 20 दिनांक 08.04.2019 द्वारा बाल संरक्षण सेवाओं के विभिन्न अवयवों हेतु रु. 3,894.00 (रु. अड़तीस करोड चौरानवे लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति स्वीकृत्यादेश संख्या 20 दिनांक 08.04.2019 द्वारा प्रदान की गयी थी। पुनः वित्त विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 732/वि0 दिनांक 31.07.2019 के आलोक में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि 5360.00 लाख (तिरपन करोड साठ लाख), राज्यांश की राशि 1273.00 लाख (बारह करोड तिहत्तर लाख) तथा राज्य स्कीम में 1273.00 लाख (बारह करोड तिहत्तर लाख) अर्थात् कुल 7906.00 लाख (उनासी करोड छः लाख) की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है:-

क्र	योजना का नाम	विषय शीर्ष	विपत्र कोड	PFMS Code	योजना उद्व्यय	पूर्व में कुल योजना उद्व्यय के 33% स्वीकृत राशि	वर्तमान/शेष वर्ष के लिए कुल योजना उद्व्यय का 67% स्वीकृत राशि
(राशि लाख में)							
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि							
1	एकीकृत बाल संरक्षण सेवाएँ (आईसीपीएस)	0223-31-04	(51-2235021020223)	9227	8000.00	2640.00	5360.00
योग:-1					8000.00	2640.00	5360.00
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की राज्यांश राशि							
2	एकीकृत बाल संरक्षण सेवाएँ (आईसीपीएस)	0323-31-04	(51-2235021020323)	9227	1900.00	627.00	1273.00
योग:-2					1900.00	627.00	1273.00
राज्य स्कीम							
3	परवरिश	0116-31-06	(51-2235021020116)	-	1900.00	627.00	1273.00
योग:-3					1900.00	627.00	1273.00
कुल (योग 1+2+3) :- (रु. उनासी करोड छः लाख)					11800.00	3894.00	7906.00

2. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार, पटना है। निदेशक, समाज कल्याण इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति, पटना को उपलब्ध करायेंगे।
3. परवरिश योजना हेतु स्वीकृत राशि में से 1 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय मद में किया जायेगा।
4. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध समाज कल्याण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98, पत्रांक 3758/वि० दिनांक 31.05.17, पत्रांक 378/वि० दिनांक 16.01.18, पत्रांक 354/वि० दिनांक 28.03.18, पत्रांक 256/वि० दिनांक 26.02.2019, 732/वि० दिनांक 31.07.2019 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।
6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो०-29/2017(खंड) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 36/टि० पर दिनांक 05.08.2019 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस शर्त के साथ दी गयी है कि निकासी के 18 माह अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार तथा नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित करेंगे एवं इस राशि का व्यय केवल उसी मद के लिए किया जायेगा जिसके लिए आवंटन प्राप्त है।
7. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो०-29/2017(खंड) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 37/टि० पर दिनांक 06.08.2019 को माननीय विभागीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
8. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन



(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु०)

ज्ञापांक- 3/यो०-29/2017(खंड) 47

/...../दिनांक- 07-08-2019

**प्रतिलिपि** -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/ समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, समाज कल्याण, निदेशक, सामाजिक सुक्षा, निदेशक, आई०सी०डी०एस, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण इकाई, पटना एवं कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य बाल संरक्षण समिति, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु०)

ज्ञापांक- 3/यो०-29/2017(खंड) 47

/...../दिनांक- 07-08-2019

**प्रतिलिपि** -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु०)